उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-19/2015/1771/92-2-15-38जॉच/2013

लखनऊ:: दिनांक:: 17 दिसम्बर,2015

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद बलिया में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत निविदा प्रक्रिया में की गयी अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1586/92-2013-38जॉच/2013, दिनांक 24-04-2013 द्वारा श्री सदरूददीन, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-बलिया के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, (सम्प्रति उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ में तैनात) को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में अपचारी अधिकारी, श्री सदरूददीन की सेवानिवृत्ति दिनांक 31-07-2013 के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3407/92-2012-38जॉच/2013 दिनांक 25-09-2013 द्वारा उनके विरूद्व नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के नियम-351ए में परिवर्तित किया गया।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, (सम्प्रति उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ में तैनात) की जॉच आख्या उनके पत्र दिनांक 19-08-2013 द्वारा उपलब्ध करायी गयीA जॉच आख्या में श्री सदरूददीन के विरूद्व अधिरोपित कतिपय आरोप स्थापित पाये गये। अतएव शासन के पत्र दिनांक 25-09-2013 द्वारा जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में स्थापित आरोपों के संबंध में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 02-09-2015 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, जॉच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गये अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा पाया गया कि अपचारी अधिकारी पर प्रक्रियात्म्क त्रुटियों से संबंधित कतिपय आरोप स्थापित पाये जाने के बावजूद भी किसी प्रकार की शासकीय क्षति कारित किया जाना नही पाया गया है। अपचारी अधिकारी अपनी अधिवर्षिता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके है। अत: शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-04-2013 द्वारा श्री सदरूददीन, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-बलिया के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही] जिसे कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25-09-2013 द्वारा सी0एस0आर0 के नियम-351ए के अंतर्गत परिवर्तित किया गया है, को एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

डॉ0 प्रभात कुमार

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 19/2015/1771(1)/92-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री सदरूददीन, तत्कलीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-बलिया, सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।